न्यायालय विशेष न्यायाधीश(विद्युत अधिनियम) / अपर सत्र न्यायाधीश, झांसी।

CNR NO- UPJS01-007773-2019

विशेष सत्र परीक्षण संख्या- १६८५/ २०१९

सरकार बनाम अमित दुबे

धारा- १३८(बी) भारतीय विद्युत अधिनियम,

थाना- टहरौली , जिला झांसी

मु०अ०सं०- १००/ २०१८

आरोप

मैं, **इन्दू द्विवेदी,** विशेष न्यायाधीश(विद्युत अधिनियम) / अपर सत्र न्यायाधीश, झांसी। आप अभियुक्त **अमित दुबे** पर निम्न आरोप लगाती हूं-

यह कि दिनांक- १३. ०७. २०१८ को समय १२. ३० बजे से १५. ०० बजे के बीच वहद स्थान- टहरौली किला ग्राम / कस्बा टहरौली किला में विद्युत चोरी रोकथाम एवं राजस्व वसूली हेतु विद्युत विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा विद्युत चैकिंग के दौरान आप अपने पूर्व में दिनांक २२. १२. २०१७ कटे विद्युत संयोजन संख्या- १२२३/ १३९९०६ तथा बकाया धनराशि २४८५५/ - रूपये पर विद्युत संयोजन को बिना बिल जमा किये एवं बिना विभागीय अनुमति के पुनः जोडकर / कटिया डालकर विद्युत का अवैध रूप से उपभोग करते हुए पाये गये। इस प्रकार आपने ऐसा अपराध किया है, जो धारा १३८ (बी) विद्युत अधिनियम के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। जिसका संज्ञान लेने की अधिकारिता इस न्यायालय को प्राप्त है।

अतएव आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त आरोप हेतु आपका विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

दिनांक- २०. ०३. २०२१ (इन्दू द्विवेदी)

विशेष न्यायाधीश(विद्युत अधिनियम) /
अपर सत्र न्यायाधीश, झांसी।

उपरोक्त आरोप को अभियुक्त को पढकर सुनाया एवं समझाया गया, उसने लगाये गये आरोप से इन्कार किया तथा विचारण चाहा।

दिनांक- २०. ०३. २०२१ (इन्दू द्विवेदी)

विशेष न्यायाधीश(विद्युत अधिनियम) /
अपर सत्र न्यायाधीश, झांसी।

अरूण कुमार शर्मा,
आशुलिपिक,

Digitally signed by Indu Dwivedi
Date: 2021.03.20 12:05:48 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court